(c) Appropriate legal and other administrative measures are taken from time to time to maximise collection of revenue during 1996-97.

Request by FICCI for reviewing FERA and COFEPOSA

1822. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether FICCI has urged Govt, to review 'FERA' and 'COFEPOSA' as reported in the Hindustan Times dated 19th November, 1996;

(b) whether it is a fact that in new dispensation of liberalisation and globalisation of economy particularly in the wake of current account convertibility of rupee, there is urgent need for above mentioned review; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) No proposal for review of COFEPOSA Act, 1974 has been received from any source/organisation. However, major changes in FERA were carried out vide Foreign . Exchange Regulation (Amendment) Act, 1993 (29 of 1993). A review of FERA was initiated in 1992 by setting up a Task Force. Further changes, if any, may also be considered in due course.

आबादी के नियंत्रण के लिए एकसमान कानून बनाया जाना

1823. **श्री रामजीलाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) आबादी को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार सभी के लिए एक समान कानून बनाएगी ताकि तेजी से बढ़ रही आबादी को रोका जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, हां।

(ख) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं—छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रयासों में तेजी लाना, विपरीत सामाजिक-जनांकिकी सूचकों वाले चुने हुए राज्यों/जिलों को अतिरिक्त साधन प्रदान करना, वर्ष 1996 में "लक्ष्यमुक्त नीति" का आरम्भ, प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर बल देना और सेवा प्राप्त-कर्त्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु/रुग्णता में कमी लाने के लिए शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षण, चुनींदा पहुंच-बाह्य क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार, सेवा प्रदानकर्त्ताओं और प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम 1971 में प्रति हजार जनसंख्या पर 36.9 की अशोधित जन्म दर को 1995 में 28.3 पर लाने में सफल हुआ है। शिशु मृत्यु दर 1971 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 129 से घट कर 1995 में 74 हो गई है।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है और इसके अन्तर्गत पात्र दम्पतियों को परिवार का आकार नियोजित करने और जन्मों में अन्तर रखने के लिए जानकारी और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shortage of nurses in the country

1824. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a serious shortage of nurses in the country;